



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2012/फाल्गुन 24, 1933

No. 370]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2012/PHALGUNA 24, 1933

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2012

का.आ. 415(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए और किए जाने हेतु विलोपित किए गए संबंधित कार्यों का संबंध रखे बगैर भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश करती है; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश 2012 है।

(2) यह आदेश 12 सितम्बर, 2012 से लागू होगा।

802 01/12-3

2. परिभाषाएँ: इस आदेश में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) 'अधिनियम' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;
- (ख) 'उपयुक्त प्राधिकारी' से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है-
- जिसका स्तर इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के स्तर से कम न हो;
 - राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबंधक; और
 - राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योगों के निदेशक अथवा आयुक्त।
- (ग) 'व्यवहारी' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्यथा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों का नकद में अथवा आस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता हो।
- (घ) इस्पात और इस्पात उत्पादों से संबंधित "आईटीसी (एचएस) कोड" से अभिप्राय इंडियन ट्रेड क्लासीफिकेशन (हारमोनाइज्ड सिस्टम्स) से है जैसा कि अनुसूची के कॉलम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है;
- (ङ.) 'विनिर्माता' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का उत्पादन, निर्माण, एकत्रण अथवा विनिर्माण करता है तथा जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी भी है जो ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के उत्पादन, निर्माण, समंजन अथवा विनिर्माण किए जाने का दावा करता हो।
- (च) 'अनुसूची' से इस आदेश में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (छ) 'विनिर्दिष्ट मानक' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (1) में स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट मानक अभिप्रेत हैं;
- (ज) 'राज्य सरकार' से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है;
- (झ) 'इस्पात और इस्पात उत्पाद' से अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट मदें अभिप्रेत हैं;
- (ञ) जिन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण आदि के बारे में निषेध:- (1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जरिए अनुसूची में दिए गए किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का विनिर्माण अथवा विक्रय के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो और जिस पर प्रमाणन चिह्न अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न न लगा हो।

परंतु निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के निर्यात के संबंध में इस आदेश की कोई भी बात लागू नहीं होगी जो विदेशी खरीदारों द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देशन के अनुरूप हो।

(2) अचमानक अथवा दोषपूर्ण इस्पात और इस्पात उत्पादों, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हों, को स्क्रेप के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो की जांच एवं परीक्षण योजना के अनुसार निपटाया जाएगा।

4. प्रमाणन के लिए बाध्यता (1) इस्पात और इस्पात उत्पादों के सभी विनिर्माता इस आदेश के जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिह्न के प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए, यदि पहले प्राप्त न कर लिया हो, भारतीय मानक ब्यूरो को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(3) जब कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है तो वह मानक चिह्न के प्रयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद ही नियमित उत्पादन प्रारंभ करेगा।

(4) किसी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक अथवा अधिक इस्पात और इस्पात उत्पादों के लिए उसको रद्द कर दिए जाने पर उक्त ब्यूरो उसकी सूचना उपयुक्त प्राधिकारी को देगा।

5. सूचना आदि मंगाने की शक्ति: उपयुक्त प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से,

(क) किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने के लिए बुला सकता है जिसको वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी इस्पात और इस्पात

उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण के संबंध में आवश्यक समझे या किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अथवा उससे संबंधित या उसके कब्जे में अथवा नियंत्रण में बहियों अथवा अन्य दस्तावेजों और अन्य इस्पात और इस्पात उत्पादों का निरीक्षण कर सकता है अथवा करवा सकता है।

6. नमूनों का परीक्षण: मानक चिह्न लगे और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानक की अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु लिए गए किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में ऐसी रीति से परीक्षण किया जाएगा, जो संबंधित भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट हो।

7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों को निदेश जारी करने की शक्ति: उपयुक्त प्राधिकारी विनिर्माताओं और व्यवहारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो अधिनियम अथवा इस आदेश के अनुरूप हों और इस आदेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

8. निर्देशों का अनुपालन: अनुसूची में दिए गए किसी इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसको इस आदेश के तहत कोई निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

9. सूचना देने की अनिवार्यता: कोई भी विनिर्माता अथवा व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों की अवहेलना करने के आशय से पैराग्राफ 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा अपने अधिष्ठान अथवा नियंत्रण में रखे किसी बही अथवा दस्तावेज या किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद को नहीं छुपाएगा, नष्ट नहीं करेगा, उसको विकृत अथवा उसके स्वरूप को विरूपित नहीं करेगा।

अनुसूची

(पैराग्राफ 2(च) देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन वाले इस्पात उत्पादों की सूची

भारतीय मानक संख्या	शीर्षक	आईटीसी (एचएस) कोड	
(1)	(2)	(3)	
2002	बॉयलर सहित मध्यस्थ एवं उच्च तापमान सर्विस हेतु दबाव बर्तन के लिए स्टील प्लेट्स	72085110	72111300
		72085120	72111420
		72085210	72111490

		72085220	72119011	
			72119090	
2041	दबाव बर्तनों हेतु स्टील प्लेट्स जो नम्र एवं निम्न तापमान पर प्रयुक्त होती हैं।	72085110	72111300	
		72085120	72111420	
		72085210	72111490	
		72085220	72119090	
2830	सामान्य अवसंरचना उद्देश्यों हेतु स्टील में रि-रोलिंग के लिए कार्बन स्टील कॉस्ट बिलेट इन्गोट्स, बिलेट्स, ब्लूमस तथा स्लैब्स।	72061090	72071920	
		72071190	72071990	
		72071290		
2831	निम्न तंत्र अवसंरचना स्टील में रि-रोलिंग हेतु कार्बन स्टील कॉस्ट बिलेट इन्गोट्स, बिलेट्स, ब्लूमस तथा स्लैब्स।	72061090	72071920	
		72071190	72071990	
		72071290	72072090	
1786	मेर्त पुनर्बलन हेतु उच्च शक्ति वाले विकृत स्टील बार्स तथा वॉयर्स (8 एमएम तथा इससे अधिक)	72131090		
		72142090		
648	पूर्णतया प्रक्रियागत प्रकार की (सीआरएनओ) कोल्ड रोल्ड गैर-अभिकेन्द्रित इलेक्ट्रिकल स्टील शीट तथा स्ट्रीप।	72251920		
		72261920		
3024	अनाज अभिकेन्द्रित इलेक्ट्रिकल स्टील शीट एवं स्ट्रीप (सीआरजीओ)	72251100		
		72261100		
15391	अर्ध प्रक्रियागत प्रकार की (सीआरएनओ) कोल्ड रोल्ड गैर-अभिकेन्द्रित इलेक्ट्रिकल स्टील शीट तथा स्ट्रीप	72251920	72092720	
		72261920	72092730	
		72091720	72092790	
		72091730		
		72091790		
2062	तप्त रोल्ड निम्न, मध्यम तथा उच्च तन्यता अवसंरचना स्टील (बार्स तथा डायमीटर की राइस अथवा 6 एमएम से कम पतली और 50 एमएमx50 एमएमx6एमएम से कम के स्ट्रुक्चरल्स को छोड़कर)	72139190	72082510	72085110
		72139990	72082520	72085120
		72149990	72082530	72085130
		72161000	72082540	72085140
		72162100	72082590	72085190
		72162200	72082610	
		72163100	72082620	72085210
		72163200	72082630	72085220
		72163300	72082640	72085230
		72164000	72082690	72085240

	72165000	72082710	72085290
		72082720	
	72111300	72082730	72085310
	72111410	72082740	72085320
	72111420	72082790	72085330
	72111430	72083610	72085340
	72111440	72083620	72085390
	72111450	72083630	
	72111460	72083640	72089000
	72111490	72083690	
		72083710	
		72083720	
	72119012	72083730	
	72119090	72083740	
		72083790	
	72139190	72083810	
	72139990	72083820	
		72083830	
		72083840	
	72149190	72083890	
	72149990	72083910	
		72083920	
		72083930	
		72083940	
		72083990	

[फा. सं. 1(6)/2011-टीडब्ल्यू]

डॉ. दलीप सिंह, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th March, 2012

S.O. 415(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in supersession of the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement - (1) This Order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012.**
 - (2) This Order shall come into force with effect from the 12th September, 2012.

2. **Definitions- In this Order, unless the context otherwise requires, -**
 - (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
 - (b) "appropriate authority" means, -
 - (i) an officer not below the rank of an Under Secretary in the Ministry of Steel;
 - (ii) General Managers, District Industries Centres of State Governments; and
 - (iii) Directors or Commissioners of Industries of the State Governments or Union territories;
 - (c) "dealer", in relation to steel and steel products, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing steel and steel products whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;
 - (d) "ITC (HS) Code", in relation to steel and steel products means the Indian Trade Classification (Harmonised Systems) Codes as specified in the entries in column (3) of the Schedule;
 - (e) "manufacturer", in relation to steel and steel products, means a person who or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which produces, makes, assembles or manufactures steel and steel products and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society which claims such steel and steel products to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society, as the case may be;
 - (f) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order;
 - (g) "specified standard", in relation to steel and steel products means the Indian Standard as specified in the entries in column (1) of the Schedule;
 - (h) "State Government" in relation to a Union territory, means the Administrator thereof;

- (i) "steel and steel products" mean the items specified in column (2) of the Schedule;
- (j) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition regarding manufacture, storage, sale, distribution etc.- (1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any steel and steel products specified in the Schedule, which do not conform to the specified standards and do not bear Standard Mark of the Bureau of Indian Standards, on obtaining certification marks licence:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of steel and steel products required for export, which conform to any specification required by the foreign buyer.

(2) The sub-standard or defective steel and steel products, which do not conform to the specified standard, shall be disposed off as scrap as per the scheme of testing and inspection of the Bureau of Indian Standards.

4. Obligation for certification.- (1) All manufacturers of steel and steel products shall make an application to the Bureau of Indian Standards for obtaining licence for use of the Standard Mark, within forty-five days from the date of coming into force of this Order, if not already obtained.

(2) The grant of licence by the Bureau of Indian Standards for use of the Standard Mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made there under.

(3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture steel and steel products, he shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau of Indian Standards for the use of the Standard Mark.

(4) Consequent to the expiry of any licence or cancellation thereof by the Bureau of Indian Standards for one or more of the steel and steel products, the said Bureau shall inform the same to the appropriate authority.

5. Power to call for information, etc.- The appropriate authority may, with a view to securing compliance with this Order,-

- (a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such steel and steel products;
- (b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other steel and steel products kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products.
6. Testing of samples.- Samples of any steel and steel products bearing the Standard Mark and drawn by the appropriate authority, for ascertaining whether they conform to the specified standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau of Indian Standards and as specified in the relevant Indian Standard.
7. Power to issue direction to manufactures and dealers. - The appropriate authority may issue such directions to manufacturers and dealers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the provisions of this Order.
8. Compliance of directions.- Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products specified in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.
9. Obligation to furnish information. - No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under paragraph 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any steel and steel products kept by, or in the possession or control of, such person.

02 9 12 5

SCHEDULE

[See paragraph 2(f)]

List of steel products under mandatory Bureau of Indian Standards certification

Indian Standard number	Title	ITC (HS) Code	
(1)	(2)	(3)	
2002	Steel plates for pressure vessels for intermediate and high temperature service including boilers	72085110 72085120 72085210 72085220	72111300 72111420 72111490 72119011 72119090
2041	Steel plates for pressure vessels used at moderate and low temperature	72085110 72085120 72085210 72085220	72111300 72111420 72111490 72119090
2830	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes	72061090 72071190 72071290	72071920 72071990
2831	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into low tensile structural steel	72061090 72071190 72071290	72071920 72071990 72072090
1786	High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement (8 mm and above)	72131090 72142090	
648	Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip – fully processed type (CRNO)	72251920 72261920	
3024	Grain oriented electrical steel sheet and strip (CRGO)	72251100 72261100	
15391	Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip – semi-processed type (CRNO)	72251920 72261920 72091720 72091730 72091790	72092720 72092730 72092790

Indian Standard number	Title	ITC (HS) Code		
(1)	(2)	(3)		
2062	Hot rolled medium and high tensile structural steel (excluding bars and rods of diameter or thickness less than 6 mm and structurals below 50 mm x 50 mm x 6 mm)	72139190 72139990 72149990 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000 72111300 72111410 72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72119012 72119090 72139190 72139990 72149190 72149990	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890 72083910 72083920 72083930 72083940 72083990	72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72089000

[F. No. 1(6)/2011-TW]

Dr. DALIP SINGH, Jt. Secy.